PM शपथ लेने के पश्चात्
PM after take the oath

- मंत्रियों के नाम की सूची तैयार करते हैं। (Prepared the list name of Ministers)
- ⇒ प्रधानमंत्री इस सूची को राष्ट्रपति को देते हैं।
- ⇒ राष्ट्रपति इस सूची के अनुसार (According to list) Art. 75(1) के तहत् मंत्रियों की नियुक्ति (Appoint of Ministers) करते हैं।

CM शपथ लेने के पश्चात

- मंत्रियों के नाम की सूची तैयार करते हैं।
- ⇒ इस सूची को CM राज्यपाल को देते हैं।
- ⇒ राज्यपाल इस सूची के अनुसार Art. 164(1) के तहत् मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।

मंत्रियों के प्रकार (Types of Ministers)

(1) कैबिनेट मंत्री (Cabinet Ministers)
(2) राज्य मंत्री (State Ministers)
(3) उपमंत्री (Deputy Ministers)

मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या
(No. of Ministers in CoM)

⇒ Total members of LS × 15%
लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%

↳ निश्चित (fixed) ⇒ 91 CA 2003

मंत्रियों के प्रकार –

(1) कैबिनेट मंत्री (मंत्रिमण्डल)
↳ Cabinet
(2) राज्य मंत्री
(3) उपमंत्री

मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या

→ विधानसभा के कुल सदस्यों का × 15%
Total members of legislative Assembly × 15%

↳ 91 CA 2003 द्वारा मंत्रियों की संख्या निश्चित

PM + मंत्री ⇒ योग्यतायें (Qualifications)

(1) PM / मंत्री बनने के लिए LS / या RS का सदस्य होना चाहिए।

(2) यदि वह LS / RS का सदस्य नहीं है तो ऐसे व्यक्ति 6 माह (Mowth's) के लिए PM / Minister नियुक्त कर सकते हैं।

(3) लेकिन 6 माह के अंदर ⅔ (within 6 Mowth's) LS / RS में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी।

(4) अगर नहीं ले पाता तो अपना पद छोड़ना होगा।

CM + मंत्री → Qualifications (योग्यतायें)

(1) CM / मंत्री बनने के लिए विधानसभा / विधानपरिषद (जहां पर वे हैं।) का सदस्य होना चाहिए।

(2) नहीं है तो 6 माह के लिए CM / मंत्री नियुक्त।

(3) 6 माह के अंदर ⅔ सदस्यता लेना अनिवार्य

(4) अगर नहीं ले पाया तो अपना पद छोड़ना होगा।

कार्यकाल (Tenure)

→ PM => 5 वर्ष ——→ (LS का कार्यकाल ↳ 5 वर्ष)

→ Minister => 5 वर्ष

→ त्यागपत्र (Resignation) => राष्ट्रपति

→ PM / Minister (मंत्री) => राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण

(PM/ Minister => Hold the office Pleasure of President)

→ PM/ Minister को राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाया जाता है।

कार्यकाल (Tenure)

CM => 5 वर्ष ——→ विधानसभा कार्यकाल ↳ 5 वर्ष

Minister => 5 वर्ष

त्यागपत्र => राज्यपाल

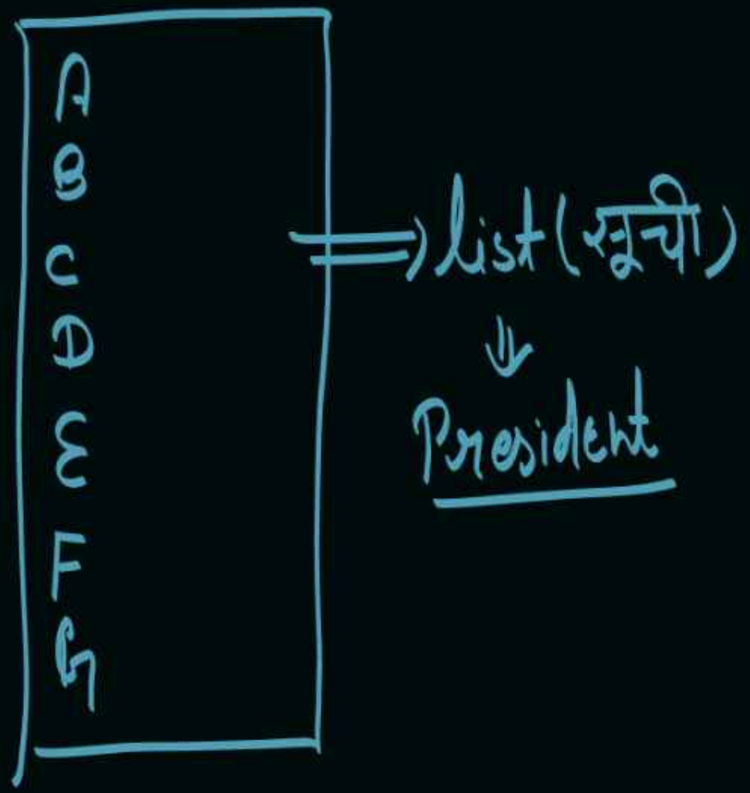
CM/ Minister => राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं।

CM/ Minister -> को राज्यपाल हटाया जाता है।

Art. 75(3) → मंत्रिपरिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व
(Collective Responsibility of CM)
⇓
लोकसभा के लिए।
(MP)

=) मंत्रिपरिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व
⇓
विधानसभा के लिए।
(MLA)

महान्यायवादी	महाधिवक्ता
Attorney General	Advocate General


Queue
list (सूची)
President